संख्या- 04 /2026/ 3618 /चार-2025- 1882222

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 05 जनवरी, 2026**

विषय:- भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर दिनांक 24-25 दिसम्बर, 2025 को प्रस्तावित कार्यक्रमों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 3542/सं0नि0-15(106)/2025-26, दिनांक 11 दिसम्बर, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी दिनांक 24-25 दिसम्बर, 2025 को गोमती रिवर फ्रन्ट, गोमती नगर, लखनऊ में भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के जीवन पर आधारित चित्रकला शिविर एवं कवि सम्मेलन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि का आयोजन लखनऊ, बटेश्वर आगरा एवं बलरामपुर में किया जाना प्रस्तावित है। उक्त आयोजन अमर उजाला के संयुक्त तत्वावधान में संगम- संस्कृतियों का 2025 के साथ कराया जाना है। उक्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में कलाकारों / कवियों/ उद्घोषक, सेमिनार एवं उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार एवं उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी की प्रदर्शनी एवं कार्यक्रम की विभिन्न व्यवस्थाओं पर होने वाले अनुमानित व्यय रू0 99.47 लाख की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्कृति निदेशालय द्वारा दिनांक 24-25 दिसम्बर, 2025 को गोमती रिवर फ्रन्ट, गोमती नगर, लखनऊ, बटेश्वर आगरा एवं बलरामपुर में भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों / कवियों के मानदेय एवं कार्यक्रम की अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव रू0 99.47 लाख के सापेक्ष प्रस्तर- 3 के अनुसार **रू0 84.72 लाख (रू0 चौरासी लाख बहत्तर हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रस्तर-4 में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

3. व्यय विवरण :-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र०	मदवार विवरण	प्रस्तावित धनराशि	स्वीकृत धनराशि
1	सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों/कवियों के मानदेय पर होने वाला व्यय	28.42	28.42
2	गोमती रिवर फ्रन्ट, गोमती नगर, लखनऊ में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराये जाने वाले कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार, अभिलेख	15.00	05.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	प्रदर्शनी, प्रदर्शनी वॉल, प्रदर्शनी के प्रिन्ट, 1 डिजिटल गेट		
3	फ्लावर डेकोरेशन, जर्मन हैंगर, स्टेज साउण्ड, लाइट, कपड़े, की सजावट, एल०ई०डी० इत्यादि पर व्यय	26.00	26.00
4	कलाकारों/कवियों के आवास भोजन पर व्यय	11.00	11.00
5	कलाकारों/ कवियों के यातायात पर व्यय	3.80	3.80
6	कलाकारों/कवियों हेतु अंगवस्त्र, मोमेन्टो इत्यादि पर व्यय	1.50	1.00
7	कलाकारों/कवियों हेतु कार्यक्रम स्थल पर सूक्ष्म जलपान पर व्यय	3.50	-
8	निमंत्रण पत्र, अभिलेखीकरण, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, उद्घोषक, वॉलिन्टियर इत्यादि पर व्यय व अन्य प्रकीर्ण व्यय	1.25	0.50
9	बलरामपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर होने वाला व्यय	3.00	3.00
10	बटेश्वर, आगरा में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर होने वाला व्यय	6.00	6.00
	योग	99.47	**84.72**

4. <u>शर्तें/ प्रतिबन्ध:-</u>

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय -17-मा0 अटल बिहारी बाजपेयी की स्मृति में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन- 42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

6. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।